

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(5)स्था/राजपत्रित/अभि/2016/868-80

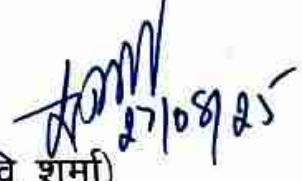
जयपुर, दिनांक:- 27.08.2025

आदेश

गृह (गुप-10) विभाग के आदेश प. 3(1)/गृह-10/2022 दिनांक 25.08.2025 द्वारा सुश्री रेणु गुप्ता एवं श्री चन्दन सिंह राव, अभियोजन अधिकारी को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदावनत किया गया है।

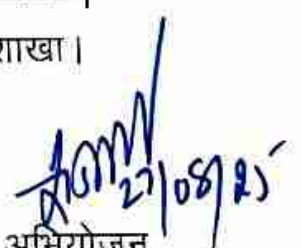
पदावनति पर उक्त दोनों अधिकारियों का पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत रखा जाता है।

संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन -----।
6. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर